

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 436836 /

पटना, दिनांक- 14-08-19

ग्रा0वि0-15 (बैठक) JSA-12/2019

प्रेषक,

सी0 पी0 खण्डूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- जल संरक्षण कार्यों की आयोजना (Planning) हेतु Remote Sensing के उपयोग
विषय पर दिनांक 20.08.2019 को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 20.08.2019 को जल संरक्षण कार्यों की आयोजना(Planning) हेतु Remote Sensing के उपयोग विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अरण्य भवन, पटना स्थित सभाकक्ष में पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 6:30 बजे तक किया जा रहा है। कार्यशाला में श्री वाई0के0श्रीवास्तव Scientist/Engineer-SF एवं श्री प्रबिर कुमार दास Scientist/ Engineer-SE Regional Remote Sensing Centre-East, National Remote Sensing Centre-East, National Remote Sensing Centre ISRO द्वारा विषय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

जल शक्ति अभियान वाले 12 जिले यथा बेगूसराय, भोजपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, सारण एवं वैशाली : निम्न पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया जाएगा।

- जल शक्ति अभियान से संबन्धित 30 प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी।
- मनरेगा के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता ।
- मनरेगा के District MIS Officer
- अन्य संबन्धित विभाग के जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी

अन्य 26 जिला

- एक-एक कार्यक्रम पदाधिकारी- कार्यक्रम पदाधिकारी का चयन उपविकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा जो एक दिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जिला के लिए District Resource Person के रूप में कार्य करेंगे ।
- मनरेगा के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता ।
- मनरेगा के District MIS Officer

सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा के कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता लैपटॉप के साथ कार्यशाला में भाग लेंगे ।

अनुरोध है कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित किया जाए ।

विश्वासभाजन,



(सी० पी० खण्डूजा)


आयुक्त मनरेगा

जापांक - 436836 /

ग्रा०वि०७(विविध)-14/2016 (खंड)

पटना, दिनांक- 14-08-19

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



आयुक्त मनरेगा